UPST-ESTN05GA(MISC)/39/2025-ESTN-UPST

I/273399/20

राज्य कर

पत्र संख्या-स्था-5(ग) लेखा संवर्ग पत्रावली/2025-26/ 3064

प्रेषक,

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनाँक 12 09- 2025

महोदय,

कृपया अपर निदेशक , आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 के पत्र संख्या -1874 दिनांक 11-09-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा नवपदोन्नत लेखाकारों के पदस्थापन के सम्बन्ध में एवं सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति के उपरान्त पदस्थापन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर विकल्प चुनने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।

अत: अपर निदेशक , आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ तैनात लेखाकारों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: – यथोक्त ।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 12-09-2025

(रवि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर

मुख्यालय, लखनऊ ।

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि

1. अपर निदेशक , आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. संयुक्त आयुक्त, (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट के सूचनापटट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
3. उपायुक्त एवं आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4056

Digitally signed by
SATYENDRA KUMAR
Date: 12-09-2025

(सत्येन्द्र कुमार)

उप आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर

मुख्यालय, लखनऊ ।

DC (I.T.)
15-9-25

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

510/217, नया हैदराबाद, लखनऊ–226007

Website:-uplaad.up.gov.in Telephone:- 0522–4331772, 0522–4331773

E-mail:-dia.upfinance@gmail.com E.H.R.M.S Code:-1531435

पत्रांक–आ0ले0प0 1874 /5859/अधि0–पदस्थापना/लेखाकार/2025 दिनांक 11.09.25

कार्यालय ज्ञाप

नव पदोन्नत लेखाकारों द्वारा दिनांक 01.09.2025 से 10.09.2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर पदस्थापन हेतु आनलाइन विकल्प का चयन एवं अधिभार्य (भारांक) हेतु श्रेणियों का चयन किया गया है। किन्तु अधिकांश कार्मिकों द्वारा अपने भारांक के सम्बन्ध में प्रमाणित साक्ष्य, प्रार्थना पत्र इत्यादि अपने नियंत्रक प्राधिकारी से हस्ताक्षरित कराते हुये उपलब्ध नही कराया गया है। ऐसे में भारांक हेतु दर्शाये गये श्रेणी में अनुमन्यता के लिये अनुमति प्रदान किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः ऐसे सभी कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि जिन्होनें भारांक हेतु गम्भीर बीमारी, स्वयं की दिव्यांगता एवं पति/पत्नी के सेवा में होने की श्रेणी का चयन किया है उसके सम्बन्ध में पति/पत्नी के नियुक्ति पत्र की छायाप्रति व सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणित साक्ष्य अपने नियत्रक प्राधिकारी से हस्ताक्षर मुहर अंकित कराने के उपरान्त आज दिनांक 12.09.2025 को अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रत्येक दशा में निदेशालय की ई–मेल आई0डी0–dia-upfinance@up.gov.in एवं मानव सम्पदा पोर्टल के कार्मिकों के Whats App (श्री लोकेश्वर यादव–8601743000, श्री पुनीत मिश्रा–8283815722, श्रीमती अनन्या श्रीवास्तव–8563045188 एवं सुश्री छवि श्रीवास्तव–7784050266) पर अथवा विशेष वाहक के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भारांक प्राप्त करने हेतु प्रत्येक दशा में उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वांछित साक्ष्य एवं प्रमाण पत्र व हस्तलिखित प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अभाव में भारांक का लाभ प्राप्त करने की श्रेणी से आपको अनर्ह (Disable) घोषित कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका एवं नियंत्रक प्राधिकारी का होगा।

(साधना श्रीवास्तव)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को तत्काल समस्त वांछित अभिलेख प्रेषित करने हेतु अन्यथा विलम्ब एवं प्रेषित अभिलेख के फर्जी/अप्रमाणित पाये जाने पर उसकी सत्यता एवं प्रमाणिकता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्मिक के नियंत्रक अधिकारी का होगा।

2–समस्त नोडल अधिकारी मानव सम्पदा पोर्टल को इस निर्देश के साथ कि वे सम्बन्धित नव पदोन्नत लेखाकारों को उपरोक्तानुसार अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सूचित करें।

3–समस्त नव पदोन्नत लेखाकारों को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार वांछित अभिलेख कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से इस निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक

अपर आयुक्त (प्रथा)
12-9-2025
1039

12.9.25

CamScanner